भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 958

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रक्ताल्पता के संबंध में लैंसेट द्वारा किया गया अध्ययन

958. श्री गौरव गोगोईः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में लैंसेट द्वारा किए गए अध्ययन के निष्कर्षों पर ध्यान दिया है, जिसमें देश में खराब आहार गुणवत्ता, रक्ताल्पता और बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं सहित किशोरों हेतु स्वास्थ्य चुनौतियों के भयावह बोझ को उजागर किया गया है;

(ख) लिंग और क्षेत्र के आधार पर संविभाजित किशोरों (10-19 वर्ष की आयु) में रक्ताल्पता, कुपोषण और मानसिक स्वास्थ्य विकारों की व्यापकता पर वर्तमान राष्ट्रीय आंकड़े क्या हैं, जिन्हें दर्ज किया गया है;

(ग) वर्तमान में इन किशोर संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं, विशेषकर स्कूल और सामुदायिक परिवेश में, के समाधान के लिए कौन से विशिष्ट कार्यक्रम या हस्तक्षेप कार्यान्वित हैं;

(घ) क्या सरकार अध्ययन द्वारा उजागर की गई बहुआयामी स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) जैसी मौजूदा योजनाओं का संशोधन या विस्तार करने की योजना बना रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एक व्यापक किशोर स्वास्थ्य संबंधी कार्यनीति सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला और बाल विकास मंत्रालयों के बीच कोई अंतर-मंत्रालयी समन्वय किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): देश में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकडों में 15-19 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों में व्याप्त रक्ताल्पता और कुपोषण के आंकड़े उपलब्ध हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आंकडे़ अनुलग्नक में दिए गए हैं।

भारत के 12 राज्यों में किए गए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) 2015-16 के अनुसार, 7.3% किशोर (13-17 वर्ष की आयु) मानसिक विकारों से पीड़ित थे और यही स्थिति पुरुषों (7.5%) और महिलाओं (7.1%) के बीच थी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय किशोर आबादी के समग्र स्वास्थ्य और विकास को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्ष 2014 से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) कार्यान्वित करना है। वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनको अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम पोषण, गैर-संचारी बीमारियों, मादक द्रव्यों के सेवन, चोट और हिंसा (लिंग आधारित हिंसा सहित), यौन प्रजनन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के विषयों को शामिल करते हुए किशोरों की बहु-आयामी स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करता है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य संवर्धन और रोगों की रोकथाम के लिए क्लिनिक-आधारित सेवाओं के साथ सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में लागू किया गया है, और इसे स्कूलों और समुदायों में भी लागू किया गया है।

शिक्षा मंत्रालयों और महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों के साथ साझेदारी में समुदाय और स्कूलों में किशोर स्वास्थ्य मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. सहपाठी शिक्षण (पीई) कार्यक्रम को स्कूलों और समुदाय के चयनित और प्रशिक्षित सहपाठी एजुकेटरों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो लड़कों और लड़कियों के समूह बनाते हैं और किशोर स्वास्थ्य के मुद्दों पर नियमित भागीदारी सत्र आयोजित करते हैं।

ii. साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड संपूरण(एसआईएफएस) कार्यक्रम में स्कूल में बालकों-बालिकाओं तथा स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को आयरन एवं फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली अनिमिया की रोकथाम के लिए साप्ताहिक पर्यवेक्षित आईएफए गोलियों प्रदान करने का प्रावधान है। यह देश भर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया जाता है, जिसमें सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र शामिल हैं।

iii. राष्ट्रीय विकृमिकरण दिवस(एनडीडी) जिसके तहत स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सभी बच्चों और किशोरों (1-19 वर्ष) के बीच मृदा संचारित कृमि (एसटीएच) संक्रमण को कम करने के लिए दो चरणों (फरवरी और अगस्त) में एक निश्चित दिन को एल्बेंडाजोल गोलियां दी जाती हैं।

iv. स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है जो स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देकर उनकी वृद्धि, विकास और शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ावा देती है। भावनात्मक कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य और पोषण तथा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने आदि सहित 11 विषयगत क्षेत्रों पर प्रत्येक स्कूल के दो प्रशिक्षित शिक्षक 'स्वास्थ्य और कल्याण राजदूत' (एचडब्ल्यूए) के रूप में नियमित रूप से गतिविधि-आधारित कक्षा सत्र आयोजित करते हैं।

अनुलग्नक

रक्ताल्पता और कुपोषण पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े (स्रोत: एनएफएचएस 5 2019-21)							
क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	15-19 वर्ष की आयु की अनिमिया से ग्रस्त महिलाएं (%)	15-19 वर्ष की आयु के अनिमिया से ग्रस्त पुरुष (%)	महिलाएं (15-19 वर्ष)		पुरुष (15-19 वर्ष)	
				बीएमआई <18.5 (पतला) (%)	बीएमआई ≥25.0 (अधिक वजन या मोटापा)	बीएमआई <18.5 (पतला) (%)	बीएमआई ≥25.0 (अधिक वजन या मोटापा) (%)
1	अंडमान और निकोबार	44.9	27.1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	आंध्र प्रदेश	60.1	18.7	39.6	9.8	40.8	13.2
3	अरुणाचल प्रदेश	48.5	24.9	13.8	5.9	13.6	8
4	असम	67	39.6	32.6	3.9	28	4.4
5	बिहार	65.7	34.8	43.6	2.6	46.2	2.4
6	चंडीगढ़	57.7	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7	छत्तीसगढ	61.4	31.5	40.3	3.5	36.6	4.5
8	दिल्ली	51.6	18.9	31.6	10.3	31.8	13
9	दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	63.9	37	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10	गोवा	44.5	15.8	39.3	13.6	51.5	10.2
11	गुजरात	69	36	52.5	4.9	46.5	8.8
12	हरियाणा	62.3	29.9	40.8	6.8	38.3	7.6
13	हिमाचल प्रदेश	53.2	22.1	39.7	4.9	33.6	6.4
14	जम्मू एवं कश्मीर	76.2	53.5	18	6.8	15	10
15	झारखंड	65.8	39.7	43.1	2.6	41.4	4.3
16	कर्नाटक	49.4	26.5	42.4	8.3	47.1	9.5
17	केरल	32.5	27.4	34.8	6.9	36	7.1
18	लद्दाख	96.9	93.1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
19	लक्षद्वीप	31.4	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
20	मध्य प्रदेश	58.1	30.5	43.8	2.9	47.3	4.6
21	महाराष्ट्र	57.2	27.9	48.2	7.1	41.3	8.3
22	मणिपुर	27.9	7.8	20.2	9.6	27.4	7.2
23	मेघालय	52.5	30.1	19.7	2.4	22.5	2
24	मिजोरम	34.9	21.5	11.3	8.5	19.4	6.6
25	नागालैंड	33.9	19.6	35.7	2	27.2	0.7
26	ओडिशा	65.5	30	36	6.4	32.9	8.5
27	पुदुचेरी	58.4	30.7	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	पंजाब	60.3	32.7	38.5	8.2	34.2	8.5
29	राजस्थान	59.4	34	40.1	2	34.7	3.7
30	सिक्किम	46.7	17.6	13.8	12	32.7	4.2
31	तमिलनाडु	52.9	24.6	34.6	14.2	36.9	11.9
32	तेलंगाना	64.7	25.1	43.4	7.5	49.9	10.4
33	त्रिपुरा	67.9	27.2	33.8	8	43	15.7
34	उत्तराखंड	40.9	27.6	31.1	6.7	38.6	3.6
35	उत्तर प्रदेश	52.9	28.2	37.3	3.9	40.2	3.4
36	पश्चिम बंगाल	70.8	38.7	31.7	7.1	36	3.9

******